

## AVAILABLE FINANCE LIMITED

www.availablefinance.in

**AFL/BSE/ 2021-22**

**Date: 11.02.2022**

Online filing at: listing.bseindia.com

**To,  
General Manager  
DCS-CRD  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai- 400001, MH**

**BSE Code: 531310**

**Sub: Intimation pursuant to Regulation 30 of the SEB (LODR) Regulations, 2015 w.r.t. Cancellation of Certificate of Registration to Carry on Business of Non-Banking Financial Company.**

Dear Sir,

This is in reference to the above cited subject that the Company has applied to Reserve Bank of India for cancellation of Certificate of Registration bearing Registration No.: B-03.00034 dated 26<sup>th</sup> February, 1998 issued under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934 to Carry on Business of Non-Banking Financial Institution.

We would like to inform that, the Company has received RBI Order No. PV(BHOPAL)/Sr. No. S728/00.10.149/2021-22 dated 11<sup>th</sup> February, 2022 from the Bhopal Regional Office of RBI related to cancellation of the NBFC license issued to the company vide Registration No. B-03.00034 dated 26<sup>th</sup> February, 1998. Copy of the same is enclosed for your reference.

Further, as per the order, the company will still govern under the relevant provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and various directions/instructions issued by RBI from time to time as the Company is falling under the category of unregistered Core Investment Company (CIC).

Please consider and take the same on record.

**For, Available Finance Limited**



**Suyash Choudhary  
Company Secretary & Compliance Officer  
Mem. No.: A57731  
Encl: a/a**







भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

प.वि.(भोपाल)/सं. 5728/00.10.149/2021-22

11 फरवरी 2022

स्पीड पोस्ट व ईमेल द्वारा

प्रबन्ध निदेशक  
अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड  
208, मोरया सेंटर,  
16 रेस कोर्स रोड,  
बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स के सामने,  
इंदौर - 452003 (म.प्र.)

महोदय / महोदया,

**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द करना**  
**Cancellation of Certificate of Registration under Section 45-IA (6) of the RBI Act, 1934**

<p>आपकी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन का कृपया संदर्भ लें। तदनुसार, आपकी कंपनी को पंजीयन प्रमाण पत्र सं. B-03.00034 दिनांक 26 फरवरी 1998 को जारी किया गया था। आपको एतद द्वारा, सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संलग्न दिनांक 28 जनवरी 2022 के आदेश के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र सं. B-03.00034 दिनांक 26 फरवरी 1998 को रद्द किया गया है। इसके दृष्टिगत, कृपया नोट करें कि आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई की उपधारा (ए) में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं चला सकती हैं और इसमें चूक पाए जाने पर भारतीय</p>	<p>Please refer to the application submitted by your company seeking Certificate of Registration to carry on the business of Non-Banking Financial Institution. Accordingly, Certificate of Registration No. B-03.00034 dated February 26, 1998 was issued to your company. You are, hereby, notified that in terms of the enclosed 'Order' dated January 28, 2022 passed by the Reserve Bank of India in exercise of its powers conferred under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934 the said Certificate of Registration No. B-03.00034 dated February 26, 1998 stands cancelled. In view of this, please note that your company cannot transact the business of a Non-Banking Financial Institution as defined in Clause (a) of Section 45-I of the RBI Act, 1934 and failure to do so shall attract penal action under Section 58B(4A) of the RBI Act, 1934.</p>
---	--

पर्यवेक्षण विभाग, पो. बाक्स. सं. 32, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

Department of Supervision, P.B.No. 32, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011  
दूरभाष / Telephone: (0755) 2675300, 2578298; ई-मेल / E-Mail: dosbhopal@rbi.org.in

हिंदी आसान हैं. इसका प्रयोग बढ़ाईये





भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(4ए) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2. तथापि, आप यह नोट करें कि आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों/ सूचनाओं द्वारा अभी भी नियंत्रित रहेगी।

3. एतद द्वारा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार न करने के संबंध में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है और इस विशिष्ट प्रस्ताव की सत्यापित प्रति और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा इस आशय का जारी प्रमाण पत्र हमारे रिकार्ड के लिए प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के किसी भी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय V में निहित दण्डात्मक प्रावधानों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4. कृपया प्राप्ति की पावती प्रस्तुत करें।


2. You should, however, note that your company still continues to be governed by the relevant provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and various directions/ instructions issued by RBI from time to time.

3. Your company is, hereby, further required to pass a specific Board Resolution not to carry on the business of a Non-Banking Financial Institution and submit a certified copy thereof and a Statutory Auditors certificate to that effect for our record. Your attention is also drawn to the penal provisions contained in Chapter V of the Reserve Bank of India Act, 1934 for violation of any provisions of the Act, ibid.

4. Kindly acknowledge the receipt.

**Note:** In case any discrepancy is found between Hindi and English versions, English version will prevail.  
नोट: यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

भवदीया / Regards

  
(जया पी. नाईक) / Jaya P. Naik  
उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

पर्यवेक्षण विभाग, पो. बाक्स. सं. 32, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

Department of Supervision, P.B.No. 32, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

दूरभाष / Telephone: (0755) 2675300, 2578298; ई-मेल / E-Mail: dosbhopal@rbi.org.in

हिंदी आसान हैं, इसका प्रयोग बढ़ाईये





भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

Speed Post/ स्पीड पोस्ट द्वारा

उक्त दिनांक का परांकन क्र. भोपाल/प.वि.(एनबीएफ़सी)/ /00.10.149/2021-22

निम्नलिखित को सूचना के लिए प्रति प्रेषित /Copy forwarded for information to the following :

1. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, भारत सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, संजय कॉम्प्लेक्स, ए-ब्लॉक, तीसरी मंजिल, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर-474009 (म.प्र.) से अनुरोध है कि वित्तीय कंपनियों की सूची में से अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड को हटा दें। कंपनी के निदेशक के नाम एवं DINs से जुड़ी जानकारी 'अनुलग्नक' में संलग्न है
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल, ई.ओ.डबल्यू.(E.O.W.) भवन, 42-अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) से अनुरोध है कि अगर अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द होने के पश्चात भी गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करते पाई गई तो उसकी जानकारी शीघ्र हमें दें।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, नया पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल, 462 008 (म.प्र.) से अनुरोध है कि अगर अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द होने के पश्चात भी गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करते पाई गई तो उसकी जानकारी शीघ्र हमें दें।
4. सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, चतुर्थ तल, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), प्लॉट No. C4 -ए, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051
6. ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड (TransUnion CIBIL), वन वर्ल्ड सेंटर, टावर 2ए, 19वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड, मुंबई - 400 013
7. एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Experian CIC), 5वीं मंजिल, ईस्ट विंग, टावर 3, इक्विफैक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070
8. इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज (Equifax), यूनिट 3 92, तीसरी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 9, सॉलिटियर कॉरपोरेट पार्क, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400 093
9. सीआरआईएफ हाई मार्क (CRIF High Mark), एफओएफबी-04,05,06, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, सीटीएस नंबर 124/बी, 15, एलबीएस मार्ग, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400070
10. मुख्य परिचालन अधिकारी, भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI), टॉवर 1, ऑफिस ब्लॉक, चौथी मंजिल, प्लेट-ए, रिंग रोड से सटे, एनबीसीसी, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली - 110023
11. मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग (DoR), भारतीय रिज़र्व बैंक, 12&13वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001
12. मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग (DoS), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र 1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400005

(आनंद प्रकाश कुजूर)  
सहायक महाप्रबंधक





भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

संलग्नक : निरस्तीकरण आदेश

Annex

S No.	Name of Directors	DIN No.
1	RAKESH SAHU	08433972
2	PRIYANKA JHA	07347415
3	RAJENDRA KUMAR SOHANI	00379042
4	SAHIVE ALAM KHAN	09179685
5	ASEEM TRIVEDI	01244851
6	VIKAS GUPTA	09438941

पर्यवेक्षण विभाग, पो. बाक्स. सं. 32, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

Department of Supervision, P.B.No. 32, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

दूरभाष / Telephone: (0755) 2675300, 2578298; ई-मेल / E-Mail: dosbhopal@rbi.org.in

हिंदी आसान हैं, इसका प्रयोग बढ़ाईये